राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 92

दिनांक : 27.02.2019

प्रश्न कर्ता का नाम : श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में टैगोर गार्डन सेंटर स्कूल के डी- ब्लाक के पास शराब की दुकान है;	उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त स्थल पर शराब की दुकान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009,दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा नियम एवं शर्तो के अनुसार है एवं नियम 51(1) के अंतर्गत है और जिसकी दूरी स्कूल के द्वार/प्रवेश मार्ग से 100 मीटर से अधिक है ।
ख)	क्या भी सत्य है कि नियमानुसार स्कूल के निकट पान, तम्बाकू, सिगरेट एवं शराब आदि की दुकान नहीं होनी चाहिए;	दूरी के बाबत शराब की दुकानें नियम 51 (1), दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के अन्तर्गत खोली जाती है। नियम 51, लाइसेंसीकृत परिसरों से सम्बद्ध शर्तें : (1) भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटरं के दायरे में नहीं होगी:- (क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान, (ख) धार्मिक स्थल (ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल : परन्तु, खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर 'पर' शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी : परन्तु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत होने के बाद प्रदान किए जायेगे: परन्तु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल

Commissioner Excise, Entt. & Luxury Tax, Vikas Bhawan, New Delhi-2

		भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की खुदरा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। स्पष्टीकरण 1 : उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्रायः है मिडॅल और हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाान। स्पष्टीकरण 2 : उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढांचा। स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के माध्य बिन्दु तक की पारणीय दूरी।
ग)	यदि हाँ, तो फिर यह शराब की दुकान किस कानून के तहत खुली हुई है;	उपरोक्तानुसार ।
घ)	स्थानीय निवासियों के इस शराब की दूकान विरुद्ध शिकायत करने पर भी इस दुकान के बंद ना होने के क्या कारण है; और	आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 तथा नियम एंव शर्तों के अनुरूप है।
ड़)	इस शराब की दुकान को कब तक बंद करवा दिया जाएगा?	उपरोक्तानुसार लागू नही है।

रवि धवन

(रवि धवन)

(आबकारी आयुक्त)

Commissioner, Excise, Entt. & Luxury Tax, Vikas Bhawan, New Delhi-2